भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3998

उत्तर देने की तारीख: 28.03.2022

आकांक्षी जिलों में केन्द्रीय विद्यालय

†3998. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:
डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री संजय काका पाटील:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के 115 जिलों में केन्द्रीय विद्यालय (केवी) कार्यरत हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने 125 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है;
(ग) यदि हां, तो क्या यह इंगित करता है कि 10 आकांक्षी जिलों में केवी नहीं है;
(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देश के शेष आकांक्षी जिलों में केवी स्थापित करने पर विचार कर रही है;
(ड.) शेष आकांक्षी जिलों में केवी को स्थापित करने में सरकार के समक्ष आ रही बाधाओं का ब्यौरा क्या है;
(च) आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में केवी की संख्या का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार आंध्र प्रदेश में केवी स्थापित करने पर विचार कर रही है; और
(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): वर्तमान में देश के 562 जिलों में 1244 केन्द्रीय विद्यालय (केवि) कार्यात्मक हैं।

(ख) और (ग): नीति आयोग ने देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हित किया है, जिनमें 16 जिलों में केवि नहीं है। हालांकि, 96 आकांक्षी जिलों में 160 केवि हैं।

(घ) और (ड.): नए केन्द्रीय विद्यालय (केवि) खोलना एक सतत प्रक्रिया है। केवि मुख्य रूप से देशभर में शिक्षा का एक समान कार्यक्रम प्रदान करके रक्षा और अर्ध-सैन्य कर्मियों, केन्द्रीय स्वायत्त निकायों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थान (आईएचएल) सहित स्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। नए केवि खोलने के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाता है जब उन्हें भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) प्रशासनों द्वारा प्रायोजित किया जाता है और एक नया केवि स्थापित करने के लिए संसाधनों की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई हो। नए केवि खोलने के लिए अनिवार्य पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने वाले विभिन्न प्रायोजक प्रधिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों को "चुनौती पद्धति" के तहत ऐसे अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है और यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है। केवि को राज्य/जिला/आकांक्षी जिला-वार मानदंडों के आधार पर नहीं खोला जाता है।

(च) और (छ): वर्तमान में, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले मे 5 केवि-नामत: केवि गुंटूर, केवि सूर्य लंका (एएफएस), केवि तेनाली, केवि सत्तनपाली और केवि इरलापाडु गांव में कार्यरत हैं। आंध्र प्रदेश में अनाकापल्ली (विशाखापत्तनम), मचेरला (गुंटूर), नंदीगामा (कृष्णा) और रोमपिचेरला (गुंटूर) में नए केवि स्थापित किए जाने हेतु प्राप्त चार प्रस्ताव, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार अनिवार्य पूर्व-आवश्यकता को पूरा करते हैं। इन प्रस्तावों पर "चुनौती पद्धति" समिति द्वारा विचार किया गया है।

*****